BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 07 दिसम्बर, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट करने के आरोपी को 02 वर्ष 10 माह का कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त फुरकान उर्फ टोपा पुत्र शफीक निवासी मौ0 पीरखां कस्बा व थाना गुलावठी द्वारा वर्ष-2021 में कृष्ण कांत शर्मा निवासी गांधी गंज कस्बा व थाना गुलावठी का सोने का कडा छीनने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 11.10.2021 को थाना गुलावठी पर मुअसं–680/2021 धारा 392,411 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 25.06.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 01 गवाह परिक्षित हुआ, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 07.12.2024 को न्यायाधीश श्री अर्जुन डबास (मा0 न्यायालय एसीजे/एसडी-2 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त फुरकान उर्फ टोपा को 02 वर्ष 10 माह का कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री मृत्युन्जय सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।